राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 374/2020

इराक खान पुत्र श्री हाजी हुसैन, आयु लगभग 34 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज)। (वर्तमान में सूरतगढ़ की उप-जेल में बंद)। याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य, पी. पी. के माध्यम से----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विकास के. बिश्नोई
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मुकेश त्रिवेदी, पी.पी

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गर्ग

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

24/01/2024

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के तहत तत्काल पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक अपील सं.16/2020 (CIS No.16/2020) में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (इसके बाद 'अपीलीय अदालत' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 16.03.2020 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और आपराधिक मामले सं. 590/2008 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (इसके बाद 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित

दिनांकित 14.02.2020 के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत विद्वान निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1-B) (A) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने का भुगतान न करने पर एक महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 24.08.2008 को सूरतगढ़ सदर के एएसआई तरसेम राम ने एक वसूली ज्ञापन तैयार किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि गश्त के दौरान उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम इराक खान (वर्तमान याचिकाकर्ता) बताया था। तलाशी लेने पर याचिकाकर्ता के पास से बिना किसी लाइसेंस के एक देसी पिस्तौल बरामद की गई। उक्त बरामदगी के आधार पर, पुलिस ने आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अपराध का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ चालान दायर किया। इसके बाद, आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1-B) (A) के तहत अपराध के लिए मामले के आरोप तय किए गए, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की और विभिन्न दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया। इसके बाद, आरोपी-याचिकाकर्ता का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन पर, विद्वत निचली अदालत ने दिनांक 14.02.2020 के विवादित फैसले के माध्यम से दोषी ठहराया और आरोपी-याचिकाकर्ता को अपराध के लिए सजा सुनाई जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विद्वत अपीलीय अदालत के समक्ष अपील की, जिसे दिनांक 16.03.2020 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

इसलिए यह पुनरीक्षण याचिका है। सीमा पर, याचिकाकर्ता के वकील दोषसिद्धि के निष्कर्ष को चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना वर्ष 2008 से संबंधित है और याचिकाकर्ता को अब तक एक साल के कठोर कारावास की कुल सजा में से लगभग एक महीने और चार दिन की सजा का सामना करना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रार्थना की जाती है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1-B) (A) के तहत अपराध के लिए अभियुक्त-याचिकाकर्ता को दी गई मूल सजा को उसके द्वारा पहले से दी गई अवधि तक कम किया जाए।

दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्त याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का विरोध किया। विद्वान पी.पी ने प्रस्तुत किया कि न तो आरोपी याचिकाकर्ता को दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर है और न ही उक्त मामले में किसी करुणा या सहानुभूति की आवश्यकता है। मैंने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के साक्ष्य और अभियुक्त-याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के संबंध में निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णय का अध्ययन किया है। यह विवादित नहीं है कि यह घटना वर्ष 2008 में हुई है और अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने अब तक एक साल के साधारण कारावास की कुल सजा में से एक महीने और चार दिन की कारावास की अवधि पूरी की है, और इसलिए लंबे मुकदमे की मानसिक पीड़ा और आघात का भी सामना किया है। इस प्रकार, सभी परिस्थितियों और इस तथ्य को देखते हुए कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता काफी समय से सलाखों के पीछे रहा है, यह उचित होगा यदि शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1-B) (A) के तहत अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा और अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि की गई सजा को उसके द्वारा पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया जाए। तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति

दी जाती है। शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1-B) (A) के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, उपरोक्त अपराध के लिए उसे दी गई सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया है। जुर्माने की राशि इसके द्वारा रखी जाती है। निचली अदालत में जुर्माना जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। जुर्माने का भुगतान न करने पर याचिकाकर्ताओं को एक महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। याचिकाकर्ता द्वारा पहले से जमा की गई जुर्माना राशि, यदि कोई हो, को समायोजित किया जाएगा। याचिकाकर्ता जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बांड जारी किए जाते हैं। सजा के निलंबन के लिए आवेदन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। निम्नलिखित न्यायालयों के अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाना चाहिए।

(मनोज कुमार गर्ग), जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।